

ग्लोबल रिवाइर्स प्रोग्राम न्यू की घोषणा की

शुरुआत बड़े स्तर पर की गई है। इसके तहत भारत के 868 शहरों के 12,330 से ज्यादा एकोमोडेशन प्रॉपर्टीज इस एक ही प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यह प्रोग्राम 39 देशों के 134 शहरों में फैले 1,046 प्रॉपर्टीज तक पहुंचा है, जिन्हें भारतीय यात्रियों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए चुना गया है।

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का आईपीओ 14 जुलाई को खुलेगा

मुंबई। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने अपने पहले इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए प्रति शेयर 545 रुपये से 574 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। इसके एक शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये है। कंपनी का यह आईपीओ आम निवेशकों के सब्सक्रिप्शन के लिए मंगलवार, 14 जुलाई को खुलेगा और गुरुवार, 16 जुलाई को बंद होगा। निवेशक कम से कम 26 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं।

शिशिर बजाज गौरव सम्मान से सम्मानित

नई दिल्ली। आयोजित एक समारोह में शिशिर बजाज को महाराष्ट्र के गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित कॉफी टेबल बुक महाराष्ट्र का गौरव का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, नीति निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज और देश भर से आए विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। इस विशेष एडीशन में शामिल प्रमुख

हस्तियों में बजाज ग्रुप के चेयरमैन एमेरिटस और बजाज फाउंडेशन के चेयरमैन शिशिर बजाज भी हैं। उनके जीवन और योगदान को आठ पन्नों के एक खास फीचर में दिखाया गया है, जिसमें संस्थापक जमनालाल बजाज जो स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, उद्योग जगत के अग्रणी और महात्मा गांधी के गोद लिए हुए पांचवें बेटे थे, के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका को पूरी स्पष्टता से दर्शाया गया है।



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

नीलामी सूचना

(अचल / चल सम्पत्ति की बिक्री)

आरएसीपीसी कानपुर ब्लॉक नं. 5

प्रशासनिक कार्यालय

द मॉल, कानपुर

वित्तीय आसितियों प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत बैंक का प्रदत्त प्रभार के आधीन 12.08.2026 को अपराह्न 12 बजे से सायं 04 बजे चल-अचल सम्पत्ति की बिक्री सूचना

डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित ई0एम0डी0 व दस्तावेज प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि व समय दिनांक 10.08.2026 सायं 04 बजे तक है
आन लाइन द्वारा ई0एम0डी0 व दस्तावेज भेजने हेतु अन्तिम तिथि व समय दिनांक 10.08.2026 सायं 4 बजे तक है

अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक सरफेयसी अधिनियम की धारा 13(4) के आधीन निम्नलिखित सम्पत्ति का कब्जा लिया हुआ है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक देय धन की वसूली हेतु निम्नलिखित बंधक सम्पत्ति का सरफेयसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत 'जहां है जैसी है' के आधीन ई-नीलामी द्वारा की जायेगी। इन आसितियों / सम्पत्तियों की ई-नीलामी दिनांक 12.08.2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे के मध्य होगी। अनुसूची समय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम, पता, शाखा, खाता सं०, मांग पत्र तिथि व बकाया राशि (रु.)	बंधक सम्पत्ति का विवरण चौहददी सहित कब्जा तिथि	आरक्षित राशि - अंतिम राशि
1	श्री विवेक सिद्धार्थ पुत्र श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह पता: गांव - पिपरा नायक, पोस्ट - कोडारा ग्रांट, बचारी तैतारी बाजार, जिला सिद्धार्थ नगर, उ०प्र० पिन 272207 श्रीमती दिव्या सिंह पत्नी श्री विवेक सिंह पता: मकान नं. 221एफ, सरस्वतीपुरम, लेन-3, जेल बाईपास रोड, जंगल मातादीन गोरखपुर उ०प्र० खाता सं०- 39447487101 शाखा- मेस्टन रोड, कानपुर (1790) मांग पत्र दिनांक: 23.02.2026	प्लॉट नं. 703 टावर नं. सी-1 'विस्टा' स्थित शालीमार वर्ल्ड गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ पिन 228010 उ०प्र०, क्षेत्रफल: 120.82 वर्गमी० चौहददी- प्लॉट नं. 704, पश्चिम: खुला आसमान, उत्तर: खुला आसमान, दक्षिण: आम गलियारा एवं प्रवेश कब्जा दिनांक - 06.05.2026	8,15,6,000/- 8,15,600/- 1,00,000/-

ई-नीलामी की शर्तें-

(1) सम्पत्तियों की नीलामी 'जहां है जैसी है' और 'जो कुछ है' आनलाइन द्वारा की जायेगी। (2) नीलामी बैंक द्वारा अधिकृत नीलामीकर्ता Baanknet.com के वेब पोर्टल (https://baanknet.com) द्वारा की जायेगी। आनलाइन नीलामी बिक्री के नियम, सामान्य शर्तें / घोषणा व आनलाइन ई-नीलामी बोली फार्म वेबसाइट 1. https://baanknet.com/2- https://www.sbi.co.in/3- https://tenders.gov.in पर देखें। 2. अधिकृत अधिकारी को प्राप्त सूचनाओं व जानकारी के आधार पर सन्निहित सम्पत्ति पर कोई देयता नहीं है, लेकिन क्रेता को सम्पत्ति के संबंध में वैधानिक देयताएँ / सम्पत्तिकर / बिजली बकाया की स्वतन्त्र जांच बिक्री में भाग लेने से पहले स्वयं की करनी होगी। ई-नीलामी विज्ञापन न कोई वादा या वाद प्रक्रिया में बैंक का प्रतिनिधित्व करता है, सम्पत्ति की बिक्री वर्तमान या भविष्य में देयता की जानकारी अथवा न जानकारी के आधीन बैंक करेगा, अधिकृत अधिकारी / ऋणदाता तृतीय पार्टी के किसी प्रकार के क्लेम / अधिकार देयता हेतु जिम्मेदार नहीं होगा। (3) बोली लगाने वालों को नीलामी की तारीख से काफी पहले, Baanknet के नियमों के अनुसार जरूरी KYC दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन फीस जमा करके https://Baanknet.com पर खुद को रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में कम से कम दो वर्किंग डे लगते हैं। (रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऊपर दी गई वेबसाइट पर विस्तार से बताई गई है)। ऑनलाइन बोली में भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को Baanknet की ई-नीलामी सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट (https://Baanknet.com) पर जाना होगा। तकनीकी सहायता के लिए, बोली लगाने वाले EBKRAY हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक बोली लगाने वाले के लिए ई-मेल ID जरूरी है क्योंकि Baanknet में सभी जरूरी जानकारी और ID व पासवर्ड अलॉटमेंट की सूचना ई-मेल के जरिए दी जा सकती है। (4) इच्छुक बोली लगाने वाले को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अनुरोध पत्र के साथ EMD जमा करके का सबूत (जैसे UTR नंबर) और (i) पहचान का सबूत (KYC) जैसे ID कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट आदि की खुद से अटैस्ट की हुई कॉपी जमा करनी होगी। (4) इच्छुक निविदाकर्ता पोर्टल में बायर्स रजिस्ट्रेशन में आधार में रजिस्टर्ड नं. द्वारा प्रोसेस करेंगे एवं पोर्टल में ई-कैवाईसी संपूर्ण करके निविदा प्रक्रिया में भाग ले पायेंगे। ईएमडी का पैसा ऑनलाइन / नेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल में रजिस्टर्ड ग्राहकों द्वारा स्वीकृत होगा। (5) इच्छुक निविदाकर्ता / क्रेता को ई. एम. डी. राष्ट्रीयकृत बैंक या नियमित बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक शाखा आरएसीपीसी, दि. माल, कानपुर में देय जमा करना होगा। (6) ई-नीलामी में भाग लेने के लिए निविदाकर्ता को अपनी डिजिटल हस्ताक्षर, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी रखना होगा व चालू ई-मेल (निविदाकर्ता की चालू ई-मेल इसलिये आवश्यकता है कि इसी के द्वारा baanknet.com आवश्यक सूचनाएँ, आई.डी. व पासवर्ड देंगे)। (7) इच्छुक निविदाकर्ता को ई. एम. डी. जमा करते का प्रमाण जैसे यूटीआर नं. व निविदा में भाग लेने हेतु अपना इच्छा पत्र साथ में स्वयं प्रमाणित पहचान का प्रमाण (KYC), वोटर आई.डी. कार्ड, Driving License / Passport आदि प्रमाणित कानपुर दिनांक 10.08.2026 को सायं 04.00 बजे तक भेज दें। मूल प्रमाण पत्रों की स्कैन प्रति भी प्राधिकृत अधिकारी को भेजी जा सकती है। (8) इच्छुक निविदाकर्ता को भारतीय स्टेट बैंक, दायित्व है कि वे बिड देने से पहले सम्पत्ति को देखकर स्वयं ही जांच पड़ताल कर सन्तुष्ट हो लें। (10) ई-नीलामी / निविदा, सम्पत्ति के सामने उल्लिखित समय व दिनांक को Inter-se bidding के माध्यम से निविदाकर्ताओं के मध्य होगा, निविदाकर्ता अपने बिड को "Bid Increment Amount" को बदल सकता है, अन्तिम 5 मिनट में, जो 5 मिनट तक और बढ़ाई जा सकती है। निविदाकर्ता जिसकी बोली (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) अधिकतम होगी, प्राधिकृत अधिकारी / ऋणदाता की स्वीकृति उपरान्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचित किया जायेगा। (11) बिक्री हेतु अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त तुरन्त बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत जमा करना होगा, शेष धनराशि बिक्री तिथि से 15 दिन के अन्दर अथवा उस समय सीमा के अन्दर जो सभी पार्टी ऋणी / जमानतदार / तृतीय पार्टी जिसकी सम्पत्ति बेची गई है, की लिखित सहमति से तय हो, जो लिखित रूप से प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति पर निर्भर करेगा, इसके अभाव में जमानत जब्त कर लिया जायेगा। सफल निविदाकर्ता को प्रेसा न करने पर सम्पत्ति पर जमा धनराशि जब्त कर सम्पत्ति की पुनः ई-नीलामी की जायेगी और निविदाकर्ता का कोई क्लेम / अधिकार नहीं होगा। (12) भावी निविदाकर्ता, आनलाइन ई-नीलामी हेतु baanknet.com से पूरी जानकारी / ट्रेनिंग ले लें, इस सम्बन्ध में किसी भी चूक, नेटवर्क समस्या / पावर / अन्य तकनीकी समस्या आदि के कारण प्राधिकृत अधिकारी / नां baanknet.com किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी। (13) सफल क्रेता को देय स्टाम्प ब्यूटी / अतिरिक्त स्टाम्प ब्यूटी / ट्रांसफर शुल्क, आदि जैसा वैधानिक / अन्वैधानिक नियमों के अन्तर्गत है, जमा करना होगा, साथ ही सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी अन्य कर देयता के जिम्मेदार होंगे। (14) प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताये सर्वोच्च निविदा को अन्य निविदाओं को स्वीकृत / अस्वीकृत करने, अथवा स्थगित करने, निर्णय करने, ई-नीलामी से सम्पत्ति हटाने का अधिकार होगा। (15) बिक्री प्रमाण पत्र सफल निविदाकर्ता के नाम पर ही जारी होगा, दूसरे नाम से जारी नहीं किया जायेगा। (16) बिक्री subject to rules / conditions prescribed under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 के अन्तर्गत होगी।

*अंतिम सम्पत्तियाँ बैंक द्वारा बिना किसी कब्जा लिये हैं, बैंक / माननीय न्यायालय कानपुर के आदेशानुसार ही बैंक द्वारा कब्जा लेने के उपरान्त ही नीलामी द्वारा क्रेता को कब्जा दिया जायेगा।